

::प्रमाण-पत्र::

अधिशाली अभियन्ता ~~महेश~~ खण्ड लोक निर्माण विभाग ~~खण्ड~~ के पत्रांक 1392/21-सी0 दिनांक 02 सितम्बर 2016 के द्वारा जनपद में विधान सभा धनोली के अन्तर्गत के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.8775हे0 सिविल सोयम भूमि कुल रक्वा 0.8775हे0 भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-
आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई (मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	क्षेत्रफल (हे०में)
01	02	03	04	05	06
-----NIL-----					
सिविल सोयम भूमि का विवरण:-					
ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल रक्वा (हे०में)	याचित रक्वा (हे०में)	
1	2	3	4	5	
डोलसी	11	1005	0.692	0.0225	
		1840	0.720	0.09	
	17	1946	0.148	0.0225	
योग			1.560	0.1350	
स्यालसी	8	194	0.135	0.0900	
		199	0.133	0.0450	
		1056	0.175	0.0450	
		414	0.083	0.0450	
		440	0.095	0.0450	
		615	0.958	0.0450	
		617	0.175	0.0450	
		618	0.630	0.0900	
		719	0.094	0.0450	
		720	0.099	0.0180	
		769	0.234	0.0450	
		756	0.31	0.0675	
योग			3.121	0.6255	
गोरण		4	0.601	0.1170	
योग			0.601	0.1170	
महा योग				0.8775	

इस कार्यालय के आदेश संख्या-233/स्टाम्प (2015-16) दिनांक 16 जून 2016 के अन्तर्गत तहसील धनोली के अन्तर्गत चम्बा-मसूरी मोटर के 50 मीटर बाहर स्थिति ग्रामों की अकृषि भूमि का मूल्य रु 66,00,000.00 (छियासठ लाख रुपये मात्र प्रति हे0) निर्धारित है। इस प्रकार उक्त ग्राम की 0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.8775हे0 सिविल सोयम भूमि कुल रक्वा 0.8775हे0 भूमि का मूल्य 57,91,500.00 (सत्तावन लाख इक्यानवे हजार पाँस सौ रुपये मात्र) आंकलित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक- 3759/XXVI-138(245-16)

दिनांक- 30/9/16

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।